भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1959
08 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

देश में लू

1959. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल:
श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019 से अब तक लू के कारण वर्ष-वार और राज्य–वार कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) केंद्र सरकार देश में भीषण लू के कारण पीड़ित लोगों को किस प्रकार मुआवजा देने की योजना बना रही है;

(ग) आगामी वर्षों में देश भर में भीषण लू के और बढ़ने की रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) क्या सरकार देश में लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की योजना बना रही है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय के अनुसार विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(ख) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास सहायता के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) के माध्यम से अपने संसाधन उपलब्ध हैं। यदि राज्यों द्वारा वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के लिए प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार इस पर विचार करती है।

(ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने देश भर में विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों के साथ सहयोग से निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिससे लू सहित चरम मौसम की घटनाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिली है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. तापमान तथा लू संबंधी स्थितियों का ऋतुनिष्ठ तथा मासिक आउटलुक जारी करना, उसके पश्चात विस्तारित अवधि पूर्वानुमान जारी करना। पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनियाँ समय पर सार्वजनिक पहुँच के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित की जाती हैं।
ii. भारत की जिलेवार लू सुभेद्यशीलता एटलस, जिससे राज्य सरकार के प्राधिकरणों एवं आपदा प्रबंधन एजेंसियां को योजना बनाने में सहायता मिल सके।
iii. भारत में गर्म मौसम से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का विश्लेषण मानचित्र, जिसमें दैनिक तापमान, हवा तथा आर्द्रता की स्थितियां शामिल हैं।

iv. लू की स्थितियों से प्रभावित 23 राज्यों में लू कार्य योजना (HAPs) को राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया गया।

ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत से बहुत पहले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय लू की तैयारी से संबंधित बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है। इसके साथ ग्रीष्म ऋतु के दौरान समय-समय पर नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

(घ) वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ)/राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची में 12 आपदाएँ अर्थात् चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट का हमला तथा पाला और शीत लहर शामिल हैं। आपदाओं की मौजूदा अधिसूचित सूची में और आपदाओं को शामिल करने के मुद्दे पर 15वें वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8.143 में पाया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि (एसडीआरएमएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि (एनडीआरएमएफ) से वित्त पोषण के लिए पात्र अधिसूचित आपदाओं की सूची बहुत सीमा तक राज्य की जरूरतों को पूरा करती है और इसलिए इसके दायरे को बढ़ाने के अनुरोध विचारणीय नहीं है।

तथापि, राज्य सरकारें कुछ निर्धारित शर्तों और मानदंडों को पूरा करने के अधीन एसडीआरएफ के वार्षिक निधि आबंटन के 10% तक का उपयोग उन प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कर सकती हैं, जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जो प्राकृतिक आपदाओं की केंद्रीय रूप से अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।

अनुलग्नक-1

2019-2022 के दौरान लू/आतपाघात के कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मृत्यु:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	128	50	22	47
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3	असम	3	0	0	1
4	बिहार	215	53	57	78
5	छत्तीसगढ	16	3	2	11
6	गोवा	0	0	0	0
7	गुजरात	27	12	8	5
8	हरियाणा	46	23	14	27
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0
10	झारखंड	88	23	33	47
11	कर्नाटक	4	1	0	2
12	केरल	3	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	33	7	2	27
14	महाराष्ट्र	159	56	37	90
15	मणिपुर	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0
18	नगालैंड	0	0	0	0
19	ओडिशा	84	१३	15	38
20	पंजाब	90	110	91	130
21	राजस्थान	54	23	1	12
22	सिक्किम	1	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	0	2	2
24	तेलंगाना #	156	98	43	62
25	त्रिपुरा	1	2	0	2
26	उत्तर प्रदेश	117	50	35	130
27	उत्तराखंड	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	49	6	11	18
	कुल राज्य	**1274**	**530**	**374**	**729**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव @ +	0	0	0	0
32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	1
33	जम्मू और कश्मीर @ *	0	0	0	0
34	लद्दाख@	-	0	0	0

35	लक्षद्वीप	0	0	0	0
36	पुदुच्चेरी	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**0**	**0**	**0**	**1**
	कुल (संपूर्ण भारत)	**1274**	**530**	**374**	**730**

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार
'+' 2013-2019 के दौरान तत्कालीन दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकडे
'*' 2013-2019 के दौरान लद्दाख सहित तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकडे
'#' 2014 के दौरान नव सृजित राज्य के आंकडे
'@' 2020 में नव सृजित संघ राज्य क्षेत्र के आंकडे

स्रोत:राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्डब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय

*****